राष्ट्रीय पेंशन योजना

बिक्रम सिंह जन्तवाल

वित्त नियंत्रक

प्रमुख सेवानैवृत्तिक लाभ

- पेंशन
- पेंशन का राशिकरण (Commutation)
- उपादान (Gratuity)
- अवकाश नकदीकरण (Leave Encashment)
- सामूहिक बीमा योजना में जमा धनराशि (GIS)
- वांछित निवास स्थान तक का यात्रा भत्ता

उपादान

- **सर्विस ग्रेच्युटी :** दस वर्ष से कम अर्हकारी सेवा होने पर पेंशन के स्थान पर सर्विस ग्रेच्युटी देय होती है।

  इसकी दर प्रत्येक पूर्ण अर्हकारी छमाही अवधि के लिये अन्तिम आहरित परिलब्धियों के आधे के बराबर होगी।

- **सेवा निवृत्तिक उपादान–** उपादान की धनराशि अर्हकारी सेवा की कुल पूर्ण छमाही अवधि के लिये अन्तिम आहरित परिलब्धियों के 1/4 के बराबर होगी

  अधिकतम – परिलब्धियों के साढ़े सोलह गुने के बराबर अथवा रूपये दस लाख जो भी कम हो।

- सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार अधिकतम राशि रू 20 लाख

मृत्यु उपादान– मृत्यु उपादान की दर निम्न प्रकार है:–

सेवा अवधि	मृत्यु उपादान की दर
1–एक वर्ष से कम अवधि	परिलब्धियों का दो गुना
2–एक वर्ष अथवा उससे अधिक किन्तु 5 वर्ष से कम	परिलब्धियों का छः गुना
3–पांच वर्ष अथवा उससे अधिक किन्तु 20 वर्ष से कम	परिलब्धियों का 12 गुना
4–20 वर्ष या उससे अधिक	अर्हकारी सेवा की प्रत्येक पूर्ण छमाही अवधि के लिये परिलब्धियों

के 1/2 के बराबर होगी जो अन्तिम आहरित परिलब्धियों के 33 गुने के बराबर अथवा रू0 दस लाख, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी।

राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS)

- दिनांक 1 अक्टूबर 2005 अथवा इसके बाद नियुक्त कार्मिकों पर लागू शासनादेश संख्या 21/xxvii(7)/ अं.पें.यो. दिनांक 25 अक्टूबर, 2005

- पुरानी पेंशन योजना– पारिभाषित लाभ पेंशन योजना

- नई योजना – अंशदायी पेंशन योजना

राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS)

- Permanent Retirement Account Number (PRAN)

- नई पेंशन योजना के अंतर्गत पारिवारिक पेंशन का लाभ अंतरिम व्यवस्था के रूप में अनुमन्य है

  शासनादेश संख्या 272/xxvii(7) / 56/2011, दिनांक 09 दिसम्बर, 2011

- (PFRDA) के सरकुलर 159 दिनांक 11/05/2015 के क्रम मे नई पेंशन स्कीम के अन्तर्गत आने वाले कार्मिको के सी पी एस एन की कटौती रिटायरमेंट के दिनांक से 1 माह पूर्व से बंद कर दी जाएगी।

व्यवस्थापन

- **PFRDA** (Pension Fund Regulatory and Development Authority)
- **CRA** (Central Recordkeeping Agency)- NSDL (National Securities and Depository Limited)
- **Fund Managers-** SBI, UTI, LIC
- **Trustee Bank-** Axis Bank
- **Nodal Agency-** Directorate of Treasuries, Pension and Entitlement, Uttarakhand
- District Treasury Office

राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS)

- अभिदाता द्वारा अपने वेतन तथा महंगाई भत्ते के योग के 10 प्रतिशत का मासिक अंशदान
- सेवायोजक द्वारा वेतन तथा महंगाई भत्ते के योग के 14 प्रतिशत धनराशि (Matching Contribution) का योगदान
- उपरोक्त कुल धनराशि को **टियर 1 खाते** में जमा किया जाता है
- अभिदाता द्वारा वैकल्पिक रूप से **टियर 2 खाता** खोला जा सकता है

राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS)

- सेवानिवृत्ति पर कम से कम 40 प्रतिषत राशि से किसी बीमा कंपनी से एक वार्षिकी (Annuity) का क्रय
- सामान्य सेवानिवृत्ति की आयु से पहले **NPS** को छोड़ने पर उपरोक्त सीमा 80 प्रतिशत होगी
- सरकारी सेवक की मृत्यु होने पर धनराशि का भुगतान नामित व्यक्ति को– यदि पारिवारिक पेंशन का विकल्प दिया जाता है तो यह राशि देय नहीं
- यदि कुल पूंजी रू 2 लाख से कम हो तो संपूर्ण राशि का आहरण किया जा सकता है
- **टियर 2 खाते** से कभी भी आहरण किया जा सकता है

योजना प्राथमिकता

- 3 पेंशन निधियाँ : एस. बी. आई. पेंशन निधि लिमिटेड, यू. टी. आई. रिटायरमेंट सोल्यूशन लिमिटेड तथा एल. आई. सी. पेंशन निधि लिमिटेड
- डिफॉल्ट योजना के अंतर्गत पूर्व निर्धारित अनुपात में निवेश
- पेंशन निधि का 85 प्रतिशत तय आय इंस्ट्रूमेंट तथा 15 प्रतिशत इक्विटी एवं इक्विटी संबंधित इंस्ट्रूमेंट में निवेश

राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS)

Annuity Service Providers (ASPs)

- Life Insurance Corporation of India
- HDFC Life Insurance Co. Ltd
- ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd
- SBI Life Insurance Co. Ltd
- Star Union Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd
- Bajaj Allianz Life Insurance Company
- Reliance Life Insurance Company

Annuity Options available under NPS

- Annuity/ pension payable for life at a uniform rate.
- Annuity payable for 5, 10, 15 or 20 years certain and thereafter as long as the annuitant is alive.
- Annuity for life with return of purchase price on death of the annuitant.
- Annuity payable for life increasing at a simple rate of 3% p.a.
- Annuity for life with a provision of 50% of the annuity payable to spouse during his/her lifetime on death of the annuitant.
- Annuity for life with a provision of 100% of the annuity payable to spouse during his/her lifetime on death of the annuitant.
- Annuity for life with a provision of 100% of the annuity payable to spouse during his/ her life time on death of annuitant. The purchase price will be returned on the death of last survivor.

Amount of annuity payable monthly, which can be purchased for Rs. 1 lakh purchase price under different options, is as under -

Age Last Birthday	Monthly annuity amount (for purchase price of Rs. 1 Lakh) under option -						
	(I)	(II) 15 years certain	(III)	(IV)	(V)	(VI)	(VII)
30	578	577	554	427	570	562	553
40	603	598	557	455	588	573	554
50	653	638	561	508	623	596	558
60	745	704	566	604	691	644	562
70	950	788	571	811	836	747	568
80	1368	839	573	1228	1135	969	573
85	1683	848	573	1543	1363	1145	573

[The above table data is for sample ages]

Options :-

(I) Annuity payable monthly for life.
(II) Annuity payable monthly for 15 years certain and life thereafter.
(III) Annuity payable monthly for life with return of purchase price on death of the annuitant.
(IV) Annuity payable monthly for life increasing at simple rate 3% p.a.
(V) Annuity payable monthly for life with a provision for 50% of annuity payable to spouse on the death of annuitant.
(VI) Annuity payable monthly for life with a provision for 100% of annuity payable to spouse on the death of annuitant.
(VII) Annuity payable monthly for life with a provision for 100% of annuity payable to spouse on the death of annuitant with return of purchase price on the death of the last survivor.

पेंशन फंड तथा निवेश के नवीन विकल्प दि.01/04/19 से लागू

- अभिदाता द्वारा निजी क्षेत्र के पेंशन फंड का भी विकल्प दिया जा सकेगा तथा वर्ष में एक बार विकल्प में परिवर्तन किया जा सकेगा

- न्यूनतम रिस्क के साथ निश्चित रिटर्न चाहने वाले अभिदाताओं हेतु मात्र सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की स्कीम : **SCHEME G**

- अधिक रिटर्न चाहने वाले अभिदाताओं हेतु 2 स्कीम का विकल्पः

LC 25 : इक्विटी में अधिकतम 25 % निवेश

LC 50 : इक्विटी में अधिकतम 50 % निवेश

वर्ष में दो बार परिवर्तनीय

राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के आय कर लाभ

- मात्र टियर 1 खाते के अंशदान पर लागू
- धारा 80 CCD(1) (80C) के अंतर्गत अभिदाता के वेतन तथा महंगाई भत्ते के योग का 10 प्रतिशत, अधिकतम रू 150000 की छूट
- धारा 80 CCD(2) के अंतर्गत नियोक्ता के अंशदान, (वेतन तथा महंगाई भत्ते के योग का 14 प्रतिशत के बराबर) को कुल आय से घटाने की छूट
- धारा 80CCD(1B) के अंतर्गत रू 50000 की अतिरिक्त छूट

टियर 1 खाते से आंशिक आहरण

- राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य के सदस्य के रूप में 3 वर्ष पूर्ण
- अभिदाता के द्वारा कुल जमा अंशदान का अधिकतम 25 प्रतिशत
- निम्नलिखित प्रयोजन हेतु:

  संतान की उच्च शिक्षा हेतु

  संतान के विवाह हेतु

  मकान निर्माण/ खरीद हेतु

  सूचीबद्ध बीमारियों के उपचार हेतु

- पूरे सेवाकाल में 3 बार देय
- दो आहरणों के बीच में 5 वर्ष का अंतराल आवश्यक

  –बीमारी की दशा को छोड़कर
- ऐसे आहरित की गई धनराशि का समायोजन सेवानिवृत्ति के समय भुगतान की जाने वाली एकमुश्त राशि से किया जाएगा

धन्यवाद